पेमाराम बनाम गणेशराम वगैरह
मुकदमा नम्बर 0125/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थी :–

पेमाराम पुत्र रामदेव जाति कुमावत निवासी ग्राम कांसेड़ा तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गणेशराम पुत्र रामदेव जाति कुमावत निवासीस कांसेड़ा
2. भंवरलाल पुत्र रामदेव जाति कुमावत निवासी कांसेड़ा
3. प्रहलादसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपुत निवासी खारडिया
4. भंवरकंवर पत्नि प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी खारडिया
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– शुद्धि कराने बाबत
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
श्री भैरूराम कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

मुकदमा नम्बर :– 0125/2023 निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 8.32 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र रामदीन जाति कुम्हार व अप्रार्थी संख्या 1 गणेशराम पुत्र रामदीन जाति कुम्हार, अप्रार्थी संख्या 2 भंवरलाल पुत्र रामदीन जाति कुम्हार दर्ज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी के दस्तावेजों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम रामदेव दर्ज है जो सही हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के राशन कार्ड, आधार कार्ड व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में इनके पिता का नाम रामदेव दर्ज है। इसलिए खसरा नम्बर 73 रकबा 8.32 हैक्टर भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता का नाम रामदीन की जगह रामदेव के नाम की शुद्धि करवाना चाहते है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूराम कुमावत ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 73 रकबा 8.32 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामदीन की जगह रामदेव के नाम की शुद्धि की जाती है तो इसमें जवाबकर्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी तहसीलदार नावां ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खारडिया के खसरा नम्बर 73 रकबा 8.32 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदार पेमाराम पुत्र रामदीन, गणेशराम पुत्र रामदीन, ब... पत्नि रामदीन, भंवरलाल पुत्र रामदीन जाति कुम्हार सा. कांसेड़ा के संबंध में जांच की गई ... रामदीन नाम गलत होना पाया गया। रामदीन के स्थान पर रामदेव सही किया जाना ... प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

में जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी की प्रतियां पेश की।

उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 8.32 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम रामदीन के स्थान पर रामदेव दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकवा 8.32 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम रामदीन के स्थान पर रामदेव दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नावां को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:01 IST
Reason: SelfAttested